ऑन लाईन नं. GCMS 2024/200

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 59/2024

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुखप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरादित्ता सिंह(स्टोर मैनेजर), मकान नंबर 401, माई गोदड़ी, फरीदकोट, जिला–फरीदकोट, पंजाब, पिन 151203.

2. मैसर्स– Air Plaza Retail Holding Pvt.Ltd., Vishal Mega Mart, Block-9c, Ravinder Path, Near Birbal Chowk Sriganganagar जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

दिनांकः 24.04.2026

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– प.5 (01) चिस्वा/ ग्रुप 3/2023 दिनांक 13.03.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था. /2024/660 दिनांक 16.03.2024 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया निरन्तरता में परिवादी का खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन कमांक–प.5 (01) चिस्वा/ ग्रुप–3–2023 दिनांक 1.10.2024 के गजट में प्रकाशित हुआ एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक– आयुक्ता–खासुऔनि / संस्था /2024/2098 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.06.2024 को समय सांय 05.00 पी.एम. बजे **मैसर्स**– Air Plaza Retail Holding Pvt.Ltd., Vishal Mega Mart, Block-9c, Ravinder Path, Near Birbal Chowk Sriganganagar जिला श्रीगंगानगर पर पहुँचे। मौके पर उपस्थित **श्री सुखप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरादित्ता सिंह** को अपना परिचय दे कर संस्थान के रैंक मे **दानेदार घी (PURE Burst Brand)** के बारे में जानकारी चाही, तो इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का स्टोर मैनेजर बताया तथा संस्थान के रैंक में **रखे दानेदार घी** के 48 नग(449 ग्राम प्रति नग गता पैक) को आमजन में बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से दानेदार घी नमूना जॉच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व मैंने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे दानेदार घी में से (449 ग्राम X4, मूल पैक) 1796 ग्राम दानेदार घी को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा दानेदार घी का नगद भुगतान 938 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुखप्रीत सिंह (स्टोर मैनेजर)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री सुखप्रीत सिंह (स्टोर मैनेजर)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **दानेदार घी** (449 ग्राम X4, मूल पैक) 1796 ग्राम मूल ही लेकर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2355** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं **के–2355** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुखप्रीत सिंह (स्टोर मैनेजर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./769/Act/2024/769 Dated 14-06-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2355 Substandard Food** होना पाया गया। डीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वार विक्रेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया गया, जिस पर विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने हेतु कोई आवेदन नहीं किया एवं साथ ही फर्म द्वारा उपरोक्त घी का खरीद बिल आज दिनांत तक अभिहीत अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण श्री सुखप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरादित्ता सिंह(स्टोर मैनेजर), मकान नंबर 401, माई गोदड़ी, फरीदकोट, जिला–फरीदकोट, पंजाब, पिन 151203 और मैसर्स– Air Plaza Retail Holding Pvt.Ltd., Vishal Mega Mart, Block-9c, Ravinder Path, Near Birbal Chowk Sriganganagar जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का **दानेदार घी** विक्रय किये

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.12.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त न्यायालय में दिनांक 25.07.2025 को उपस्थित हुआ, परंतु उसके बाद आदिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी दिनांक 25.07.2025 के बाद से 18 तारीख पेशियों पर उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

परिवाद पर राजकीय पैरोकार को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **दानेदार घी** का सैम्पल **K-2355** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./769/Act/2024/769 Dated 14-06-2024 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Ghee** bearing code No. K-2355 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of** Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण श्री सुखप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरादित्ता सिंह(स्टोर मैनेजर), मकान नंबर 401, माई गोदड़ी, फरीदकोट, जिला–फरीदकोट, पंजाब, पिन 151203 और मैसर्स– Air Plaza Retail Holding Pvt.Ltd., Vishal Mega Mart, Block-9c, Ravinder Path, Near Birbal Chowk Sriganganagar जिला श्रीगंगानगर को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्तगण श्री सुखप्रीत सिंह पुत्र श्री गुरादित्ता सिंह(स्टोर मैनेजर), मकान नंबर 401, माई गोदड़ी, फरीदकोट, जिला–फरीदकोट, पंजाब, पिन 151203 और मैसर्स– Air Plaza Retail Holding Pvt.Ltd., Vishal Mega Mart, Block-9c, Ravinder Path, Near Birbal Chowk Sriganganagar जिला श्रीगंगानगर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 50,000–00 (अखरे रूपये पचास हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner